राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक-05.01.2026 को प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, कसबा, पूर्णिया का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

निरीक्षण के क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया, अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा उपस्थित थे। सभी संबंधित कार्यालयों के आवश्यक कार्य कलाप विशेष रूप से राजस्व संबंधी मामलों, न्यायालय से संबंधित मामलों, प्रधान मंत्री आवास योजना आदि की संक्षिप्त समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई का निदेश दिया जाता है :-

1. कार्यालय एवं कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
2. अवमाननावाद/रिट याचिका से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले में कारण-पृच्छा/शपथ पत्र ससमय दायर किया जाय।
3. कार्यालय में न्यायालय, राजस्व एवं वित्तीय अभिलेखों का समुचित संधारण सुनिश्चित किया जाय। लंबित अग्रिम तथा अभिश्रव के समायोजन की कार्रवाई एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जाय।
4. निरीक्षण के तिथि को अंचलाधिकारी, कसबा के RCMS लॉगिन में मात्र 01 वाद का प्रविष्टि दिख रहा है जो निष्पादित हो चुका है। अंचलाधिकारी, कसबा यह सुनिश्चित करेंगे कि Bihar Public Land Encroachment Act से संबंधित सभी मामलों की प्रविष्टि RCMS Portal पर हो चुकी है एवं कोई भी वाद शेष नहीं है।

   अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय के कार्य सम्पादित करेंगे। पुराने लंबित मामले में उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए शीघ्र निष्पादन किया जाय। राजस्व वाद दायर होते ही प्रारंभिक जाँच कर कार्रवाई प्रारंभ की जाय। नोटिस का तामिला 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाय। उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से वाद के नियमित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
5. अंचल में मापी कार्यों की समीक्षा में यह पाया गया कि अभी भी 328 मामले मापी हेतु लंबित है। अंचल कार्यालय, कसबा में 04 अमीन कार्यरत है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि आवागमन की सुविधा को देखते हुए मापी हेतु प्राप्त आवेदनों में से एक ही क्षेत्र के मापी की एक ही तिथि निर्धारित किया जाय। ताकि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके। कई लंबित मामलों के संदर्भ में विपक्षी/अन्य लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न करने की बात बताई गई। इस संबंध में निर्धारित SOP का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपस्थिति में विडियोग्राफी कराते हुए तथा सभी तथ्यों को अंकित करते हुए मापी प्रतिवेदन तैयार किया जाए। तदनुसार एक माह से अधिक लंबित सभी मापी कार्य का निष्पादन किया जाय।
6. अंचल कार्यालय, कसबा में Mutation के 585 वाद लंबित हैं जिनमें 351 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 84 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 155 आवेदन अंचलाधिकारी, कसबा के लॉगिन में, 139 आवेदन राजस्व अधिकारी के लॉगिन में, 29 आवेदन अंचल निरीक्षक के लॉगिन में एवं 62 आवेदन कर्मचारियों के लॉगिन में लंबित है। राजस्व अधिकारी के लॉगिन में आम/खास सूचना हेतु 15 आवेदन एवं अंतिम आदेश हेतु 06 आवेदन लंबित हैं।
7. समीक्षा में यह पाया गया कि राजस्व पदाधिकारी के स्तर से दाखिल-खारिज के मामलों में बिना समीक्षा/मंतव्य के अंचल अधिकारी के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया जाता है जो उचित स्थिति नहीं है। अतः सभी राजस्व पदाधिकारी से यह अपेक्षित है कि दाखिल खारिज वाद के संदर्भ में हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में संगत कागजातों की पूरी जाँच करते हुए आवेदित

जमीन के संदर्भ में आवेदक के Legal Right/Legal and Peaceful Possession को विनिश्चित करते हुए सकारण एवं सही मंतव्य के साथ अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। समरूप कार्रवाई हल्का कर्मचारी के स्तर से भी अपेक्षित है। ताकि गलत दाखिल खारिज की स्थिति न बने।

साथ ही अंचलाधिकारी के स्तर से अंतिम आदेश में आपत्ति के बिन्दुओं पर सकारण विनिश्चय अंकित करते हुए स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। ताकि गलत दाखिल खारिज की स्थिति न बने। सकारण आदेश पारित होने की स्थिति में आपत्ति अथवा शिकायत की संभावना नहीं रहती है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया सभी अंचल के अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं हल्का कर्मचारी की बैठक आयोजित करते हुए दाखिल खारिज आवेदनों के ससमय एवं नियमानुसार निस्तार हेतु आवश्यक Training देंगे।

8. Parimarjan Plus [Online Jamabandi] के 186 आवेदन अंचलाधिकारी, कसबा के स्तर पर एवं 297 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं।

Parimarjan Plus [Left Out Jamabandi] के 427 आवेदन अंचलाधिकारी, कसबा के स्तर पर एवं 162 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं।

अभियान बसेरा-2 के तहत प्राप्त आवेदनों में से Not Fit For Allotment अंकित करते हुए 37 आवेदनों का निस्तार किया गया है। जो अधिक प्रतीत होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर इसकी समीक्षा कर ली जाए।

9. सरकारी भूमि के सत्यापन के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि प्रतिवेदन के अनुसार कसबा अंचल में 05 मौजा छोड़कर 62 मौजा में पोर्टल पर प्रविष्टि की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। कुल 2619 प्लॉट की प्रविष्टि की जा चुकी है जिसमें 1366 एकड़ जमीन को सन्निहित की गयी है। किन्तु प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी कायम करने के मामलो में क्या कार्रवाई की गयी। ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करते हुए तत्काल जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव तैयार कर अपर समाहर्त्ता को भेजा जाय। अपर समाहर्त्ता संबंधित पक्षकार को नोटिस करते हुए त्वरित रूप से सुनवाई कर सरकारी जमीन पर ऐसे सभी गलत जमाबंदी को रद्द करने के संदर्भ में सकारण आदेश से निस्तार करेंगे।

प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। तथा इस पर अंचल अधिकारी के स्तर से क्या कार्रवाई हुई है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को इस संबंध में प्रतिवेदन संकलित करते हुए उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर एक माह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

10 समीक्षा में यह भी पाया गया कि विगत वर्ष-2025 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा चलाये गये राजस्व महाअभियान कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों पर कृत कार्रवाई की स्थिति संतोष जनक नहीं है। अतः इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्राप्त सभी आवेदनों को तत्काल त्वरित गति से अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड किया जाय। तथा ऐसे सभी मामलों पर अंचल अधिकारी समयबद्ध रूप से कार्रवाई करते हुए नियमानुसार निस्तार करना सुनिश्चित करेंगे।

11. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि अगले एक माह के अंदर सभी अंचल का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण/समीक्षा के सभी बिन्दुओं पर विधिवत रूप से निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध करायेंगे।

12. अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया एवं अंचल अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय के कार्य सम्पादित करेंगे। पुराने लंबित मामले में उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए

शीघ्र निष्पादन किया जाय। राजस्व वाद दायर होते ही प्रारंभिक जाँच कर कार्रवाई प्रारंभ की जाय। नोटिस का तामिला अधिकतम 3 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित किया जाय। उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से वाद के नियमित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

13. कसबा अंचल कार्यालय के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुल 19 रिट याचिका प्रक्रियाधीन है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि तीन अवमाननावाद भी लंबित है। जो निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	अवमाननावाद सं0	वादी का नाम	कारण पृच्छा
01	MJC 11250/2018	जुबेर ऋषि बनाम राज्य सरकार	दाखिल
02	MJC 345/2024	सीमा मांझी उर्फ सीमा रानी बनाम राज्य एवं अन्य	दाखिल
03	MJC 4075/202024	सुधीर कुमार सरकार बनाम राज्य एवं अन्य	दाखिल

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्रमांक 02 के संबंध में दिनांक-26.12.2025 को पूर्णिया जिला में सम्पन्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम में परिवादी सीमा मांझी के परिवाद को सुना गया। सुनवाई में यह विदित हुआ था कि जमाबंदी अपील वाद संख्या-153/2022 में समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा दिनांक-29.04.2022 को पारित आदेश में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के बावजूद अंचल कार्यालय के स्तर से दाखिल खारिज विपक्षी के पक्ष में किया गया। जिसकी शिकायत सीमा मांझी द्वारा उक्त कार्यक्रम में की गई थी। संबंधित दाखिल खारिज वाद संख्या-5985/2021-22 के आदेश पत्रक से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामांतरण वाद दिनांक-21.09.2021 को दायर किया गया तथा संबंधित हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक- 26.07.2022 को विपक्षी के पक्ष में नामांतरण कर दिया गया। जो प्रथम दृष्टया जमाबंदी अपील वाद संख्या-153/2022 में समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा दिनांक-29.04.2022 को पारित आदेश का उल्लंघन का है। समीक्षा में यह भी विदित हुआ है कि इसी मामले में वादी सीमा मांझी द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या-10094/2022 में दिनांक-21.7.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेश दिया गया था :-

Considering the same, during the pendency of this writ petition, the operation of the impugned order dated 09.06.2022 passed by the Bihar Land Tribunal, Patna in B.L.T. Case No. 287/2022 shall remain stayed. The private Respondent is restrained from creating trouble in the possession of the petitioner. Put up after eight weeks.

उक्त आदेश के अनुपालन नहीं होने के कारण वादी सीमा मांझी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में MJC वाद संख्या-345/2024 दायर किया गया। कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले के संदर्भ में सभी संगत बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई किये बिना ही Routine way में कारण-पृच्छा दायर किया गया है, जो उचित स्थिति नहीं है। तथा इससे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उक्त जमाबंदी अपील वाद में समाहर्त्ता के द्वारा पारित अंतिम आदेश तथा रीट याचिका में पारित आदेश संज्ञान में आने के उपरान्त निम्न प्राधिकारों द्वारा पारित विपरीत आदेश को संगत प्रावधानों के अनुसार संशोधित/निरस्त (माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक) किया जाना आवश्यक था। जो इस मामले में अबतक नहीं किया गया है।

अतः समाहर्त्ता, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है इस मामले के संदर्भ में सभी कागजातों एवं तथ्यों की जाँच करते हुए तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निदेश दिया जाता है कि अवमाननावाद के मामले में रिट याचिका में पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कारण-पृच्छा दायर किया जाय। समाहर्त्ता, पूर्णिया अपने जिले अंतर्गत ऐसे सभी मामले की समीक्षा कर लेंगे। तथा यथोचित रूप से रिट याचिका में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद में कारण पृच्छा दायर कराने की कार्रवाई करेंगे। ताकि अवमाननावद की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न हो।

समाहर्त्ता, पूर्णिया से यह अपेक्षित है कि वर्तमान सीमा मांझी के मामले में तत्कालीन हल्का कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन एक माह के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस निरीक्षण टिप्पणी के सभी कंडिका के संदर्भ में कृत कारवाई का प्रतिवेदन समाहर्त्ता 04 सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करेंगे।

ह0/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 62 पूर्णिया, दिनांक 05-01-2026

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी/अंचल निरीक्षक, कसबा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Rjck.
05\1\2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।